

NIC

**नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायलय का)**

**आदेश फलक**

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... तारिख ..... से ..... तक


जिला पटना अनुमंडल :- बाढ़, अंचल :- अथमलगोला का केस का प्रकार

62 एवं वर्ष 13-14  
378

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारिख सहित
<p>28/05/13</p>	<p>श्री/श्रीमति <u>जेन एन एन</u>                      पिता/पति <u>श्री राम शंकर कुमार</u>                      ग्राम <u>मुन्नापुर</u> थाना <u>अथमलगोला</u>                      जिला पटना अंचला अथमलगोला जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/बख्शीशनामा बटवॉरा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।                      अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दु पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें।                      अभिलेख दिनांक <u>15/06/13</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: center;"><b>जमीन का विवरण</b></p> <p>ग्राम /थाना नं० <u>89 (मुन्नापुर)</u> खाता नं० <u>168</u>                      खेसरा <u>160</u> रकबा <u>0505118511</u>  <u>मौजद-303118511</u></p> <p style="text-align: right;">अंचलाधिकारी, अथमलगोला</p> <p style="text-align: center;"><u>16/09/13</u></p>	

15/01/13


अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉब प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / बख्शीशनामा बटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। विक्रेता के नाम से जमाबन्दी कायम है / नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकृत के पूर्व आपति आमंत्रण हेतु क्रेता विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक ..... को उपस्थापित करें।

  
अंचलाधिकारी,  
अथमलगोला

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त

03/02/13

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपति नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक ..... को उपस्थापित करें।


  
अंचलाधिकारी,  
अथमलगोला

20/02/13

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जॉब प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व वसूली के हित में स्वतंत्र प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की स्वीकृति ..... दी जाती है।

शुद्धी पत्र निर्गत करें।

अंचलाधिकारी  
अथमलगोला

  
अंचलाधिकारी  
अथमलगोला

